संक्षिप्त

अनुजा आयोग के अध्यक्ष टोंक दौरे पर

टोंक(निसं)। राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार नायक, बुधवार को टोंक दौरे पर रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल एंव परियोजना प्रबन्धक राज. अनु. जाति जनजाति वित्त एंव विकास सहाकरी निगम लिमिटेड करतार सिंह मीना के साथ समीक्षा बैठक ली। परियोजना प्रबंधक ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष नायक अनुजा निगम द्वारा जिले में किये जा रहें कार्यो की प्रगति से अवगत कराया गया।

सामुदायिक भवन का लोकार्पण आज

निवाई(निसं)। नगर पालिका के तत्वावधान में 5 फरवरी को सुभाष कॉलोनी में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रामसहाय वर्मा होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी करेंगे। पार्षद बाबूलाल सैनी ने बताया कि सामुदायिक भवन के निर्माण होने से स्थानीय निवासियों को सामाजिक कार्यक्रमों, बैठकों व सुविधायुक्त स्थान मिलेगा।

डॉ. अखिलेश सेवारत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष बने

दौसा(निसं)। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ दौसा (अरिसदा) की बैठक बुधवार को रावत पैलेस में पूर्व अध्यक्ष डॉ. कपिल देव मीना, डॉ. बाबू लाल मीना (आर.सी.एच.ओ) की अध्यक्षता मे आयोजित की गई।

कलक्टर ने किया 'बाल अधिकारिता विभाग' संस्थाओं के निर्माणाधीन विकास कार्यों का निरीक्षण

अलवर, (निसं)। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने आज बाल अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित सम्प्रेषण गृह, शिशु गृह एवं यूआईटी के प्रगतिरत विकास कार्यों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

जिला कलक्टर ने निरीक्षण के दौरान संप्रेषण गृह में आवासरत बालकों से बातचीत कर उनको प्रदान की जा रही सुविधाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक को निर्देश दिये कि बच्चों को किसी भी माध्यम के द्वारा शैक्षिक गतिविधियों से जोडा जावे तथा प्रतिदिन के शिड्यूल के अनुसार नियमित रूप से निर्धारित गतिविधियां सम्पन्न कराई जाए। उन्होंने शिशु गृह का निरीक्षण कर समुचित व्यवस्थाओं का जायजा लेकर बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी परवरिश की जानकारी प्राप्त की तथा बालकों की चिकित्सा पत्रावली का अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने बच्चों की दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को निर्धारित समय अवधि में पूरा कराने की निर्देश दिये। साथ ही 3 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को शाला पूर्व शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर भेजने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने निर्देश दिये कि बाल कल्याण समिति को निर्धारित समय अवधि में प्रकरणों के निर्धारण करें। उन्होंने नियमित रूप से साफ सफाई स्वच्छता और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये।

जिला कलक्टर ने सूर्य नगर बी ब्लॉक पार्क का निरीक्षण कर यूआईटी के अधिकारियों निर्देश दिये कि पार्क को अलवर दर्शन पार्क की तर्ज पर विकसित करने की संभावनाओं पर कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिये कि पार्क की फाउन्टेन को दुरूस्त कराकर चालू करावे।

साथ ही पार्क के सौन्दर्यकरण का विस्तृत प्लान तैयार करें। इसके उपरान्त उन्होंने बुध विहार के सी ब्लॉक में निर्माणाधीन ओपन लाइब्रेरी का निरीक्षण कर निर्देश दिये कि ओपन लाइब्रेरी का कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप में पूर्ण करावे, जिससे यहां अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों एवं आमजन को ओपन लाइब्रेरी का लाभ मिल सके। साथ शहर के अन्य पार्कों में प्रगतिरत कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए उनका रख-रखाव सुनिश्चित करें।

इस दौरान बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रविकांत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक लक्ष्मण सिंह, यूआईटी के अधिशासी अभियन्ता अशोक मदान, सहायक अभियन्ता धर्मेन्द्र यादव, कनिष्ठ अभियन्ता दौलतराम, संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक संजय वर्मा, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष रेनू गुप्ता, ज्योति आहूजा एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य श्री चंद्रशेखर शर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने विकास कार्यों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

- निरीक्षण के दौरान संप्रेषण गृह में आवासरत बालकों से बातचीत कर उनको प्रदान की जा रही सुविधाओं का फीडबैक लिया

सैकड़ों विद्यार्थियों व शिक्षकों का विशेष उपलब्धि पर सम्मान

सांभरझील, (निसं)। यहां पीएम श्री दरबार राजकीय उच्च मा. विद्यालय में वार्षिकोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में उपखंड अधिकारी ऋषिराज कपिल, नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष अनिल गट्टानी, सचिव जितेंद्र डांगरा, गोवर्धन नाथ मंदिर के महंत जुगलदास महाराज, सांभर साल्ट जीएम सतीश चौथंकर, अधिशासी अधिकारी छगनलाल यादव, पूर्व माली समाज अध्यक्ष भगवान सहाय सहित अनेक प्रबुद्धजनों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर दरबार स्कूल के पूर्व व्याख्याता शिम्भू दयाल यादव का असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के रूप में चयन होने पर सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों व अतिथियों की भोजन प्रसादी रखी गई। सांभर थाना एएसआई महेश ढाका द्वारा सभी 700 विद्यार्थियों व 50 शिक्षकों को पेन गिफ्ट किया गया। गोठरवाल ने बोर्ड कक्षाओं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने विद्यार्थियों को इक्कीस सौ रूपये तथा शिम्भूदयाल द्वारा कला संकाय में 95 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ग्यारह हजार रूपये देने की घोषणा की।

'ग्राम उत्थान शिविर' के तहत जिले में 9 फरवरी तक लगेंगे शिविर

कोटपुतली(निसं)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्राम उत्थान शिविरों के सफल संचालन में कृषि, पंचायतीराज, पशुपालन, गोपालन तथा मत्स्य विभाग सहित संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

इन शिविरों के तहत पावटा उपखण्ड में 5 फरवरी को टसकोला गिरदावर सर्किल के लिए अटल सेवा केन्द्र टसकोला में, 6 फरवरी को दांतिल गिरदावर सर्किल के लिए अटल सेवा केन्द्र दांतिल में, 7 फरवरी को पंचायत समिति पावटा में, 09 फरवरी 2026 को प्रागपुरा गिरदावर सर्किल के लिए ग्राम पंचायत भवन प्रागपुरा में शिविर आयोजित होंगे।

इसी प्रकार बहरोड़ उपखण्ड में 05 फरवरी को बड़ोंद गिरदावर सर्किल के लिए भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र कारोडा में, 06 फरवरी को रिवाली गिरदावर सर्किल के लिए भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र बूढवाल में, 07 फरवरी को गण्डाला गिरदावर सर्किल के लिए भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र गण्डाला में, 08 फरवरी को महाराजावास गिरदावर सर्किल के लिए भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र महाराजावास में, 09 फरवरी को बहरोड़ तरफ गंगाबिशन के लिए नगर परिषद बहरोड़ में शिविर आयोजित होंगे।

इसी प्रकार बानसूर उपखण्ड में 05 फरवरी को बुटेरी में, 06 फरवरी को गिरूडी में, 07 फरवरी को हरसौरा में, 08 फरवरी को बाबरिया में, 09 फरवरी को गूंता में शिविर आयोजित होंगे। इसी प्रकार विराटनगर उपखण्ड में 05 फरवरी को आंतेला गिरदावर सर्किल के लिए अटल सेवा केन्द्र आंतेला में, 06 फरवरी को पालडी गिरदावर सर्किल के लिए अटल सेवा केन्द्र पालडी में, 07 फरवरी को मैड गिरदावर सर्किल के लिए अटल सेवा केन्द्र मैड में, 09 फरवरी को कार्यालय पंचायत समिति विराटनगर परिसर में शिविर आयोजित किए जाएँगे।

इसी प्रकार कोटपूतली उपखण्ड में 05 फरवरी को सरूण्ड गिरदावर सर्किल के लिए भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र सरूण्ड में, 06 फरवरी को सांगटेडा गिरदावर सर्किल के लिए भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र सांगटेडा में, 07 फरवरी को मोहनपुरा गिरदावर सर्किल के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र मोहनपुरा में, 08 फरवरी को गोरधनपुरा गिरदावर सर्किल के लिए भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र गोरधनपुरा में, 09 फरवरी को नगर परिषद कोटपूतली में शिविर आयोजित किए जाएँगे।

इसी प्रकार नारायणपुर उपखण्ड में 05 फरवरी को नीमूचाना गिरदावर सर्किल के लिए भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र नीमूचाना में, 06 फरवरी को ज्ञानपुरा गिरदावर सर्किल के लिए भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ज्ञानपुरा में शिविर आयोजित किए जाएँगे।

- राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्राम उत्थान शिविरों के सफल संचालन में संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है

रेडक्रॉस सोसाइटी ने बांटे मरीजों के परिजनों को कंबल

टोंक(निसं)। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा कंबल निधि योजना अंतर्गत जिला अस्पताल (जनाना) में भर्ती मरीजों के परिजनों को सर्दी के समय में कंबल बांटे। इस मौके पर संगठन सचिव हनुमान सिंह सोलंकी ने बताया कि यह कंबल निधि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पूरे राज्य में शुरू कि गई है क्योंकि मरीज के लिए तो कंबल अस्पताल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है लेकिन बाहर से आने वाले मरीज के परिजनों को सर्दी में कंबल के लिए परेशान होना पड़ता है।

तेज सर्दी को देखते हुए स्टेट चेयरमैन राजेश कृष्ण बिरला के निर्देश अनुसार सभी जिलों में मरीज के परिजनों के लिए कंबल निधि योजना अंतर्गत अस्पताल प्रबंधन को कंबल उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। सोसायटी द्वारा मातृ एवं शिशु चिकित्सालय जनाना हॉस्पिटल के प्रभारी डॉ. सत्यनारायण चौधरी को संगठन की ओर से 25 कंबल सौंपे गए, जिस पर डॉ. चौधरी ने सभी सोसाइटी के सदस्यों को आश्वासन दिया कि परिजनों हेतु यह पुनीत कार्य है हम परिजनों को रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से कंबल नियमित रूप से उपलब्ध करवाते रहेंगे और रेड क्रॉस सोसाइटी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य डॉ सीताराम विजयवर्गीय, डॉ प्रदीप गहलोत, पुलकित सिंहल, बृजमोहन गुप्ता, प्रवीण सिंह, रमेश सैनी, संदीप बोहरा, पंकज शर्मा, हर्षिता जैन, बनवारी शर्मा, राकेश तशहरा, वर्दी चंद गुर्जर आदि लोग कार्यक्रम में शामिल हुए।

जिला अस्पताल (जनाना) में भर्ती मरीजों के परिजनों को सर्दी के समय में कंबल बांटे।

विभिन्न स्थानों पर की गई अतिक्रमण निरोधक कारवाई

अलवर(निसं)। नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा न्यास क्षेत्राधिकार में बिना न्यास स्वीकृति एवं भू-संपरिवर्तन कराए कृषि भूमि पर ग्रेवल सडक विकसित कर अवैध प्लॉटिंग, चारदीवारी को ध्वस्त करने की कार्रवाई गई। नगर विकास न्यास की सचिव श्रीमती धाइगुडे स्नेहल नाना ने बताया कि ग्राम भूगोर झोपडी के खसरा नंबर 645 में करीब एक बीघा कृषि भूमि पर बन्नाराम मीणा, मुकेश, बृजमोहन, महेन्द्र, संतोष देवी, छाजूराम व अन्य द्वारा विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार अम्बेडकर नगर के वेयर हाउस योजना में सडक के मुख्य भाग पर अवैध रूप से खोखे, थडियां लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटाकर न्यास भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।

संविदा नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया पर रोक एवं एनईपी के अनुरूप पुर्नसंरचना की माँग

कोटपूतली, (निसं)। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (उच्च शिक्षा) की ईकाई राजकीय एलबीएस पी.जी. महाविद्यालय कोटपूतली द्वारा बुधवार को राज-सीईएस महाविद्यालयों की वर्तमान संकल्पना एवं संचालन व्यवस्था के विरोध में शांतिपूर्ण एवं मर्यादित विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्राध्यापकों ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर काली पट्टी बांधकर तथा मांगों से संबंधित प्ले-काड्र्स लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। महासंघ का स्पष्ट मत है कि राज-सीईएस योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों का वर्तमान स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की मूल भावना के विपरित है। इन महाविद्यालयों में स्थाई अकादमिक ढ़ांचे का अभाव, अपर्याप्त अधोसंरचना एवं संसाधन, शोध एवं नवाचार की संभावनाओं का ना होना तथा संविदा एवं अस्थाई नियुक्तियों पर आधारित अध्यापन व्यवस्था राज्य की उच्च शिक्षा को गुणवत्ता, बहुविषयकता एवं अकादमिक निरंतरता से दूर ले जा रही है।

महासंघ ने अवगत कराया कि सत्र 2020-21 से 2022-23 के मध्य राज-सीईएस योजना के अंतर्गत 303 नवीन महाविद्यालय खोले गये तथा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सत्र 2023-24 एवं 2024-25 में 71 अतिरिक्त राज-सीईएस महाविद्यालय खोले जा चुके हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 374 हो गई है। इनमें से लगभग 260 राज-सीईएस महाविद्यालयों में आज भी एक भी स्थाई संकाय सदस्य कार्यरत नहीं हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता हैं। प्रदर्शन के उपरांत संगठन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा उपखंड अधिकारी/जिला कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं प्रधानमंत्री के नाम पृथक-पृथक ज्ञापन प्रस्तुत कर शीघ्र समाधान की माँग की गई। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि विधानसभा चुनाव-2023 के पश्चात गठित राज्य सरकार द्वारा राज-सीईएस महाविद्यालयों एवं विषयों के संचालन के संबंध में गठित सोडाणी समिति की सिफारिशें अब तक ना तो सार्वजनिक की गई हैं एवं ना ही लागू की गई हैं। महासंघ ने यह भी गंभीर आपत्ति दर्ज कराई कि भर्ती परीक्षा कैलेंडर-2026 के माध्यम से राज-सीईएस नियम-2023 में परिवर्तन कर 05 वर्षों के लिये 28 हजार 500 रुपये के नियत वेतन पर संविदा टीचिंग एसोसिएट एवं अशैक्षिणक पदों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा हैं, जिसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। महासंघ के अनुसार यह व्यवस्था अस्थाई, असुरक्षित एवं नीति-विरोधी है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के सर्वथा विपरित है। महासंघ ने राज्य सरकार से माँग की कि राज-सीईएस महाविद्यालयों के संबंध में गठित सोडाणी समिति की सिफारिशों को अविलंब लागू किया जायें, राज्य में संचालित सभी राज-सीईएस महाविद्यालयों को सामान्य राजकीय महाविद्यालयों के रूप में संचालित करने के स्पष्ट आदेश जारी किये जायें।

- महाविद्यालयों की वर्तमान संकल्पना एवं संचालन व्यवस्था के विरोध में शांतिपूर्ण एवं मर्यादित विरोध प्रदर्शन किया गया

तीये की बैठक

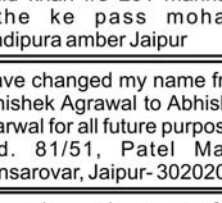

श्रीमती प्रभाती देवी धर्मपत्नी स्व. श्री गोरीशंकर जी शर्मा (गढ़ की बड़ी ढाणी) का स्वर्गवास दिनांक 03.02.2026 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 05.02.2026 को 3 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान हनुतिया, शाहपुरा पर होगी। शोकाकुल-: हरिनारायण, मदनलाल शर्मा (दामाद) निवासी- हनुतिया मो. न. 9928115206.

नाम परिवर्तन

मैं रिचा पत्नी श्री जितेन्द्र रामचंदानी निवासी एल एल 132, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। मैंने अपना नाम रिचा किंगरानी से बदलकर रिचा (RICHA) रख लिया है। भविष्य में मुझे रिचा के नाम से जाना जाये।

मैं राकेश कुमार नेभनानी पुत्र श्री चन्द्र भान निवासी 161, संत गुरुदेव नानक मार्ग, कंवर नगर, जयपुर। मैंने अपना नाम राकेश नेभनानी से बदलकर राकेश कुमार नेभनानी (RAKESH KUMAR NEBHNANI) रख लिया है। भविष्य में मुझे राकेश कुमार नेभनानी के नाम से जाना जाये।

मैं 15414211-N हवलदार ओम प्रकाश कुम्हार निवासी एमएच जयपुर ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट जयपुर (राजस्थान) के समक्ष दिनांक 31.01.2026 को दिए गए शपथ पत्र के अनुसार अपनी माता का नाम भगावती देवी से भगवती देवी रख लिया है।

I have changed my name from Chiranji Kumar Joshi to Chiranjeev Kumar Joshi A-5 Vaishali Marg Vaishali Nagar Jaipur

I have changed my name from Mohammed sahid khan to sahid khan r/o 201 manna Ji hathe ke pass mohalla handipura amber Jaipur

I have changed my name from Abhishek Agrawal to Abhishek Agarwal for all future purposes. Add. 81/51, Patel Marg, Mansarovar, Jaipur-302020

I have changed my name from Bharat Bhushan Agrawal to Bharat Bhushan Agarwal for all future purposes. Add. 81/51, Patel Marg, Mansarovar, Jaipur-302020

I have changed my name from Bharat to Bharat Dhanjani son of Arjun Das. I will be known by this name in future. Address:- plot no 10, Vidhyut Abhiyanta Colony, Hans Marg Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017.

मै किशन लाल पुत्र श्योकरण जाट निवासी पड़सोली तहसील दूदू का मेरा नाम पहचान पत्र, खातेदारी जमीन व स्कूल में किशनलाल पुत्र श्योकरण दर्ज है कुछ दस्तावेज में बनवारी दर्ज कर दिया गया जो गलत है मुझे किशनलाल पुत्र श्योकरण के नाम से जाना पहचाना जाये।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा श्री हरी प्रसाद विजयवर्गीय पुत्र श्री रामचन्द्र विजयवर्गीय के नाम से आवंटित प्लॉट संख्या सी-243, योजना वैशाली नगर, जयपुर से संबंधित मूल आवंटन पत्र F- 3 ( )/ JDA/CRO/84/3894 दिनांक 29-05-1984 ईस्वी का कहीं खो गया है, जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट क्रमांक LR 3043104/2026 पर दिनांक 3 फरवरी 2026 ईस्वी को पुलिस में विक्रेता श्रीमती संतोष जायसवाल द्वारा दर्ज करा दी गयी है, तथा उक्त सम्पत्ति मेरे अभिभाष्य श्री धन्ना राम जाट पुत्र श्री टोडा राम जाट द्वारा उक्त विक्रेता से क्रय करने हेतु SBI बैंक में ऋण हेतु आवेदन किया है। उक्त दस्तावेज की प्रति RTI द्वारा जब्धिा से प्राप्त कर ली गई है जिन्हे ही मूल दस्तावेज के समान माना जावेगा। यदि किसी भी व्यक्तिको उक्त मूल दस्तावेज मिले या कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के भीतर सम्पर्क करें।

अधिवक्ता सौरभ यादव मो. 7769877047

आम-सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे अभिभाष्यगण श्री बजरंग पुत्र श्री मोती एवं श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री बजरंग, निवासीयान- 47, दरवाजा बाहर, हरिजन बस्ती, अम्बेडकर कच्ची बस्ती, सांगानेर, जयपुर के पुत्र सुरेश एवं पुत्रवधु श्रीमती संगीता हमारे अभिभाष्यगण से विगत 4-5 वर्षों से अलग निवास कर रहे है तथा उनका व्यवहार हमारे अभिभाष्यगण से अच्छा नहीं होने, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के कारण तथा हमारे अभिभाष्यगण को लगातार हैरान व परेशान करने व उनके कहने मे नहीं होने के कारण हमारे अभिभाष्यगण ने अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति एवं विरासत में मिली सम्पत्ति से उन्हे बेदखल कर दिया है उनके द्वारा किये गये किसी भी लेन देन व संव्यवहार की जिम्मेदारी हमारे अभिभाष्यगण की नहीं होगी। सूचित रहे। (विमल शर्मा) एडवोकेट, मोबाईल : 9829017960

आम-सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य मोहम्मद रफीक पुत्र बशीर खां निवासी मकान नम्बर 34बी, खेतड़ी हाउस के पीछे, नाहरी का नाका, जयपुर, के दोनों पुत्र मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हबीब व उनकी पत्नियां व बच्चों का चाल-चलन / व्यवहार सही नहीं है व यह सब लोग मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है तथा मेरे अभिभाष्य से उसके घर आकर आये दिन लडाई-झगडा, मारपीट आदि करते है इसलिए मेरे अभिभाष्य ने उक्त दोनों पुत्रों को उनके परिवार सहित अपनी चल व अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है तथा अब मेरे अभिभाष्य का इन लोगों से किसी भी प्रकार का लेना-देना एवं रिश्ता नहीं है, इन लोगों से कोई भी लेन-देन एवं संव्यवहार करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। सूचित रहे। भवदीय (अनवर खान) एडवोकेट, जयपुर, दिनांक 4/02/2026 मो. 9829185600

आम-सूचना मेरी अभिभाष्या शर्मिष्ठा कुमारी पत्नि जयकिरत सिंह पुत्री भवानी सिंह जाति राजपुत निवासी खेड़ा हाउस 89, गंगवाल पार्क, जयपुर जिला जयपुर राजस्थान द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दूदू निवासी शूरवीर सिंह जी पुत्र श्री शंकर सिंह जी खंगारोत निवासी दूदू के द्वारा अपने सुपुत्र योगेन्द्र सिंह के दिनांक 10.02.2026 को होने वाले शुभ विवाह की पत्रिका में योगेन्द्र सिंह को महिपाल सिंह का सुपुत्र होना व महावीर सिंह का सुपौत्र होना जो छपवाया है वह बिल्कूल गलत है जबकि चि० योगेन्द्र सिंह के पिता का नाम शूरवीर सिंह है तथा योगेन्द्र सिंह शंकर सिंह जी के सुपौत्र हैं इस प्रकार कार्य शूरवीर सिंह के द्वारा नाजायज रूप से सम्पति हडप किये जाने की योजना के साथ हमारे परिवार की वंशावली को प्रभावित किये जाने कि नियत से किया गया है। शिवराम शर्मा एडवोकेट

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर: DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1290

चूंकि प्रार्थी श्री DEVASHISH SHARMA, 191-A, CHANDRA NAGAR, GOVINDPURA, JHOTWARA, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत पुन्यास इंडियन यूथ गेम्स स्पोर्ट्स फेडरेशन ट्रस्ट, P. NO. 191-C, CHANDRA NAGAR, GOVINDPURA, JHOTWARA, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पुदत्त शक्तियों के पुयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस पुकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त पून्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो पुस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत् निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच मूसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 03-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 09/04/2026

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर: DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1217

चूंकि प्रार्थी श्री सत्येन चतुर्वेदी, 301 satyam 18 plot no 132 vishyavidhayala nagar yogna jagatpura jaipur 302017 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास राजस्थान वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन, 301 satyam 18 plot no 132 vishyavidhayala nagar yogna jagatpura jaipur 302017 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत् दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पुदत्त शक्तियों के पुयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस पुकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त पून्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो पुस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत् निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच मूसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 19-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 03/04/2026

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1960 की धारा 23 के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 09/2026

चूंकि श्री नारायण लाल अग्रवाल ने पंजीकृत प्रन्यास बंगाली बाबा आत्माराम ब्रह्म्यारी गणेश मंदिर पुरानी चुंगी रामगढ रोड, दिल्ली बाईपास रोड, जयपुर जिला जयपुर जिसका पंजीयन कर्माक 1/1988 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1969 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रपत्र-8 प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा प्रन्यास के प्रन्यासी श्री माधोलाल अग्रवाल पतंगवाले, श्री गिरवारी लाल तम्बाकू वाले, श्री मदन दीवान, श्री सुरेश दिक्कीवाल, श्री एन के जोशी, श्री द्वारकादास बड़ागांव, श्री पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, श्री माधोलाल पंतगवाला का निधन हो जाने के कारण उनके नाम प्रन्यास रिकार्ड से हटाने तथा उनके स्थान पर श्री रामगोपाल अग्रवाल पतंगवाले, श्री राजेश गोयल तम्बाकूवाले, श्री सुनील दीवान, श्री राजेश टिक्कीवाल, श्री सुधांशु जोशी, श्री प्रदीप अग्रवाल बडागाँव, श्री रामअवतार अग्रवाल, नये संरक्षक श्री रघुवीर शरण को मनोनीत कर उनके नाम प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 2/2/26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी गया। आइदा तारीख पेशी 9/3/26

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
क्रमांक: 378 **आम जाहिर सूचना** दिनांक: 03/02/2026

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड संख्या-5/MB/58 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 128.00 वर्ग मीटर का आवंटन श्री प्रभू पुत्र श्री नाथू को किया गया था। मूल पट्टा अर्थजीवद्ध है। तत्पश्चात श्री प्रभू पुत्र श्री नाथू के द्वारा उक्त अर्थजीवद्ध पट्टे का मुख्यारनामाआम श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री चन्द्र शेखर शर्मा को नियुक्त किया गया। उक्त मुख्यारनामाआम अर्थजीवद्ध है। तत्पश्चात मुख्यारनामाआम धारक श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री चन्द्र शेखर शर्मा के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्री राजेश पुनिया पुत्र श्री रामजी पुनिया को कर दिया। यह विक्रय पत्र दिनांक 01/09/2009 को पंजीबद्ध है। तत्पश्चात श्री राजेश पुनिया पुत्र श्री रामजी पुनिया के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का मुख्यारनामाआम श्री कानी लाल मेठ पुत्र श्री माणक चन्द मेठ को नियुक्त कर दिया। उक्त मुख्यारनामाआम अर्थजीवद्ध है। तत्पश्चात मुख्यारनामाआम धारक श्री कानी लाल मेठ पुत्र श्री माणक चन्द मेठ के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्रीमती प्रतिभा मिश्रा पत्नी श्री अनुराग मिश्रा को कर दिया। यह विक्रय पत्र दिनांक 14/07/2010 को पंजीबद्ध है। तत्पश्चात श्रीमती प्रतिभा मिश्रा पत्नी श्री अनुराग मिश्रा के द्वारा उक